POSTAL REG. NO. RJ/JPC/M-17/2012-14 (RNI.REG.NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2014/अंक 12

कृपया इसे चौराहे पर चिपकाइये

मासिक प्रेषण दि. 8 दिसम्बर, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 दिसम्बर, 2014 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! गांधी जयंती के दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'स्वच्छ भारत' अभियान शुरू किया।

मैं इस अभियान की तहेदिल से तारीफ करता हूं। क्योंकि, इस अभियान में कई छोटी-मोटी समस्याओं को सुलझाने के साथ-साथ देश की प्रगति में जन सहभागिता को अहमियत दी गई है। मोदी का यह कहना कि 'मैं बातें कम और काम ज्यादा करूंगा' उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करता है।

मोदी का यही 'स्वच्छ भारत' अभियान देश के लिए हर क्षेत्र में प्रेरक मॉडल बन सकता है। मौजूदा दौर में बुनियादी ढांचा, वित्तीय क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य और नागरिक सेवा सुधार जैसे कई क्षेत्रों में भी स्वच्छता लाने के लिए काम करने की जरूरत है। देश में नीतियों, कानूनों, नियमों और विनियमों का जो मकड़जाल फैला है, इसे सुलझा कर आमजन के अनुकूल बनाना होगा। यह तभी सुलझ सकता है जब केन्द्र, राज्य और स्थानीय सरकारों का सभी स्तरों पर प्रयास हो।

भारतीय निवेशक देश के अन्दर ही निवेश कर सके इसके लिए माहौल बनना चाहिए। जरूरत देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रक्रिया को आसान बनाने व इसमें व्याप्त बाधाओं को दूर करने की भी है।

भ्रष्टाचार और लालफीताशाही पर भी झाड़ू चलानी होगी, ताकि छोटे उद्यमी भी आसानी से उद्योग लगाकर देश की प्रगति में शामिल हो सके। सबसे ज्यादा सफाई की जरूरत हमारी नागरिक सेवाओं और प्रशासनिक तंत्र में है। देश में कारोबारी माहौल स्वतः ही बनेगा तो 'मेक इन इंडिया' का सपना साकार होते देर नहीं लगेगी।

प्रदेश में 96 फीसदी किसान जैविक खेती अपनाने के लिए तैयार

'कट्स' द्वारा 'स्वीडिश सोसायटी फॉर नेचर कंजरवेशन स्वीडन' के सहयोग से संचालित प्रोओर्गेनिक परियोजना के तहत 13 नवम्बर को जयपुर में हितधारकों की वार्षिक बैठक सम्पन्न हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य परियोजना के तहत जैविक उत्पादों के उपभोग और उत्पादन की धरातल स्तरीय वास्तविकता ज्ञात करने के लिए किए गए अध्ययन का विवरण प्रस्तुत करना था।

परियोजना राज्य के छह जिलों में संचालित की जा रही है।

परियोजना अध्ययन से प्राप्त मुख्य निष्कर्षों के अनुसार 78 फीसदी उपभोक्ताओं को रासायनिक कीटनाशकों के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी है। करीब 93 फीसदी उपभोक्ताओं ने जैविक उत्पादों को खरीदने की इच्छा व्यक्त की है।

रासायनिक खेती के नकारात्मक प्रभावों से 91 फीसदी किसान वाकिफ हैं तथा इतने ही फीसदी किसान जैविक खाद्य पदार्थों को बेहतर मानते हैं। करीब 96 फीसदी किसान अनुदान प्राप्त होने व उत्पादों का उचित मूल्य मिलने पर जैविक खेती अपनाने के लिए तैयार है। केवल 25 फीसदी किसानों को नाबाड़ द्वारा संचालित किसान क्लब के बारे में पता है।

बैठक में कृषि विभाग के निदेशक, डॉ. शीतल प्रसाद; कृषि अनुसंधान केन्द्र, दुर्गापुरा के डॉ.एस.एस यादव; स्वीडिश सोसायटी फॉर नेचर कंजरवेशन स्वीडन की प्रतिनिधि सारा नेल्सन; कृषि विज्ञान केन्द्र के कार्यक्रम समन्वयक डॉ. एस.एस राठौड़; कट्स निदेशक, जॉर्ज चेरियन; स्वीडिश सोसायटी फॉर नेचर कंजरवेशन स्वीडन के प्रतिनिधियों के अलावा राज्य सरकार के कृषि एवं खाद्य विभाग; दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केन्द्र तथा जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारीगण तथा जैविक खेती पर काम करने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

समाज को मिले नई दिशा

'ग्राम गदर' में प्रकाशित समाचार समाज की ज्वलंत समस्याओं और भ्रष्टाचार आदि के खुलासे से संबंधित होते हैं। अक्टूबर के अंक में प्रकाशित आपके नाम चिट्ठी में आपने सरकार द्वारा 'सबका साथ और सबका विकास' नारे के साथ सरकार द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी 'जन-धन योजना' पर सकारात्मक रुख रखा है।

मुर्दों ने की मजदूरी और उठाया भुगतान शीर्षक से प्रकाशित समाचार भ्रष्टाचार की हद है। ऐसे समाचारों से भ्रष्टाचारी बेनकाब तो होते ही हैं, साथ ही भविष्य में अन्य लोग भी भ्रष्टाचार से तौबा करते हैं। भित्ती-पत्र में समाज को जागृत करने वाले ऐसे ही समाचार प्रकाशित होते रहें, ताकि समाज को एक नई दिशा मिले।

- ललित के. पंवार, सचिव
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली

उपभोक्ता कानून होगा सशक्त

ई-कॉमर्स कंपनियों की धोखाधड़ी के मद्देनजर उपभोक्ता कानून में केन्द्र सरकार ने बदलाव की तैयारी की है। उपभोक्ताओं को अब केस करने के लिए विक्रेताओं के शहर जाने की जरूरत नहीं रहेगी। वे अपने शहर में ही केस दर्ज करा सकेंगे।

दो लाख रुपए तक के मूल्य के सामान या सेवा के लिए वकील की जरूरत नहीं पड़ेगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 में बदलाव का प्रस्ताव तैयार कर केबिनेट को भेजा है। रेलवे एवं ई-कॉमर्स कंपनियों को भी इसके दायरे में लाया जाएगा।

भामाशाह कार्ड मिलने में देरी

प्रदेश में 16 अगस्त से शुरू हुई भामाशाह योजना में अब तक 22 लाख लोगों का नामांकन हो चुका है, लेकिन भामाशाह कार्ड अभी तक जारी नहीं हुए। आयोजना विभाग द्वारा कार्ड जारी नहीं होने की वजह यह बताई जा रही है कि नामांकन के समय दर्ज सूचनाओं में कई प्रकार की गलतियां पाई गई हैं। योजना के तहत दर्ज सूचनाओं का तीन स्तर पर सत्यापन तय किया जाना है।

आयोजना विभाग का कहना है कि 22 लाख नामांकनों में दर्ज सूचनाओं के सत्यापन में हुई देरी और गलतियों को दुरुस्त करने के लिए सॉफ्टवेयर में एडिट का विकल्प देरी से मिलने से कार्ड वितरण में विलम्ब हुआ है, अब जल्द ही वितरण के प्रयास किए जा रहे हैं।

किसानों तक पहुंचे असली बीज

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि देश और दुनिया में कृषि के जो नए प्रयोग और आविष्कार हो रहे हैं उनका लाभ राज्य सरकार किसानों तक पहुंचाएगी।

उन्होंने जयपुर की बस्सी तहसील के ढिंढोल में बीज विधायन केन्द्र एवं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रशिक्षण केन्द्र के लोकार्पण समारोह में बोलते हुए बताया कि बीज विधायन केन्द्र पर किसानों की ओर से उत्पादित किए गए बीज की प्रोसेसिंग और ग्रेडिंग होगी।

उन्होंने बताया कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रशिक्षण केन्द्र पर खेती की नई तकनीक की जानकारी दी जाएगी। यहां पर इजरायली तकनीक से सब्जियां पैदा की जाएगी, जिसमें बैंगन और टमाटर तीस से चालीस दिन तक खराब नहीं होंगे। जरूरी यह है कि असली बीज किसान तक पहुंचे। उन्होंने किसानों को जैविक खाद के इस्तेमाल की सलाह भी दी।

गांवों में रखे जाएंगे कचरा पात्र

पांच हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में न तो कचरे के ढेर लगेंगे और न ही गंदा पानी एकत्रित होगा। श्री योजना के तहत चयनित गांवों की कायापलट होगी। ठोस व तरल कचरा निष्पादन के लिए कचरा पात्र रखे जाएंगे। ग्राम पंचायतें कचरे का गांव से बाहर निष्पादन की व्यवस्था करेगी।

तरल कचरे के लिए सड़कों के बगल में नालियां बनाई जाएंगी। तीन साल में खुले में शौच से मुक्त कर इन गांवों को निर्मल घोषित किया जा सकेगा। इन गांवों की ग्राम पंचायतों को 20 लाख रुपए निर्मल भारत अभियान एवं 20 लाख रुपए अन्य योजना से मिलेंगे।

गौरव पथ निर्माण को मिली मंजूरी

ग्रामीण गौरव पथ योजना के महत्व को देखते हुए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पहले साल में ही 1500 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दे दी है। पहले चरण में 3000 ग्राम पंचायतों में गौरव पथ बनाए जाएंगे। इनमें से सभी 33 जिलों व 186 विधानसभा क्षेत्रों के 2105 गांवों में सड़क बनाने के लिए टेंडर जारी किए जा रहे हैं।

सार्वजनिक निर्माण व परिवहन मंत्री यूसुफ खान ने बताया कि योजना के तहत बनने वाली सड़कों की मजबूती पर खास जोर दिया जाएगा। सड़कों पर पंचायती राज व ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से सोलर लाइट की व्यवस्था भी की जाएगी।

पेंशन में 150 करोड़ का फर्जीवाड़ा

राज्य सरकार ने पिछले एक साल में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत ढाई लाख फर्जी लोगों को 150 करोड़ रुपए बांट दिए। यह खुलासा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सत्यापन जांच में हुआ है।

राज्य की पूर्ववर्ती सरकार ने पिछले साल अगस्त में वृद्धावस्था पेंशन के प्रावधानों में बदलाव किया था। इससे करीब 57 लाख नए लोगों को पेंशन मिलनी शुरू हो गई। इनमें ढाई लाख नाम ऐसे हैं, जिन्हें या तो दोहरी पेंशन मिल रही है या जिनके पते फर्जी हैं अथवा जिनकी मृत्यु हो चुकी है। फर्जी तरीके से बांटी गई इस राशि की वसूली होनी चाहिए।

तलाक के बाद पत्नी को भी हिस्सा

केन्द्र सरकार ने विवाह कानून में बदलाव की तैयारी कर ली है। प्रस्तावित कानून के तहत तलाक की स्थिति में पति की अचल सम्पत्ति में से पत्नी व बच्चों को भी हिस्सा मिलेगा। इसके लिए केन्द्रीय विधि मंत्रालय ने विवाह कानून (संशोधन) बिल पर कैबिनेट नोट तैयार किया है। इस पर मंत्रालयों से राय मांगी गई है। फीडबैक मिलने पर इसको अंतिम मंजूरी के लिए केबिनेट में भेजा जाएगा।

निःशुल्क लगेगा पेंटावेलेंट टीका

शिशुओं को पांच गंभीर बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करने वाला पेंटावेलेंट वैक्सीन प्रदेश में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल हो गया है। यह टीका बच्चों में डिप्थीरिया, परटूसिस, टिटनेस, हैपेटाइटिस-बी एवं हिमेफिलिस इंफ्लूएंजा बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करेगा।

जयपुर के जेकेलोन, जयपुरिया, कांवटिया और बनीपार्क अस्पताल में यह ट्रायल के रूप में शुरू किया जा चुका है। सरकारी अस्पतालों में यह टीका निःशुल्क लगाया जाएगा।

निःशक्तजन के अपमान पर होगी पांच साल जेल

सरकार निःशक्तजनों को सशक्त बनाने और उनके कल्याण के लिए निःशक्तजन अधिकार विधेयक लाने की तैयारी में है। अनुसूचित जाति और जनजाति की तरह अब निःशक्तजनों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने या किसी तरह का अपराध करने पर पांच साल तक की जेल की सजा एवं 10 हजार से पांच लाख रुपए तक जुर्माने के प्रावधान प्रस्तावित विधेयक में किए गए हैं। विधेयक के प्रारूप पर संसदीय समिति ने आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। समिति जल्द ही अपनी सिफारिशों पर रिपोर्ट देगी।

- प्रस्तावित विधेयक में नौकरी व शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण तीन से बढ़ाकर पांच प्रतिशत करने, कानून का पालन नहीं होने पर सजा के लिए विशेष कोर्ट बनाने तथा उनके अधिकारों की रक्षा के लिए केन्द्र व राज्य स्तर पर आयोग बनाने का भी प्रावधान किया गया है।
- कौशल विकास और रोजगार: निःशक्तजनों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण व अन्य सहयोग के अलावा नौकरियों में पांच प्रतिशत कोटा दिए जाने के प्रावधान इस विधेयक में किए गए हैं।

- सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य व पुनर्वास: विधेयक में पेंशन, बेरोजगारी भत्ता और मुफ्त इलाज, निःशक्त कर्मचारियों के लिए बीमा योजना, विकास व सुविधाओं के लिए अलग से बजट की व्यवस्था करने का प्रावधान भी किया गया है।
- शिक्षा के लिए: विधेयक के अनुसार स्कूलों में खेलकूद के लिए आवश्यक सुविधा, भवन में आसानी से प्रवेश, ब्रेल और साइन भाषा में प्रशिक्षित शिक्षक, छात्रवृत्ति व शिक्षण संस्थाओं में पांच प्रतिशत तक प्रवेश आवश्यक होगा।

पांच रुपए ज्यादा वसूले, अब देना होगा हर्जाना

जयपुर निवासी नवीन कुमार बैरवा ने झोटवाड़ा स्थित महावीर टायर्स और एमआरएफ कंपनी के खिलाफ जिला उपभोक्ता मंच, जयपुर में परिवाद दर्ज कराया। परिवाद में मंच को बताया गया कि 18 जुलाई, 2012 को उन्होंने झोटवाड़ा स्थित महावीर टायर्स से मोटर साइकिल की एमआरएफ ब्रांड की ट्यूब खरीदी। ट्यूब के पैक पर अधिकतम कीमत 285 रुपए अंकित थी। लेकिन विक्रेता ने उनसे 285 रुपए के बजाय 290 रुपए वसूल लिए। जब उन्होंने ज्यादा रुपए वसूलने पर आपत्ति की तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने मंच से ज्यादा वसूली राशि तथा मानसिक क्षतिपूर्ति की एवज में हर्जाना दिलाए जाने की प्रार्थना भी की।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता मंच ने पांच रुपए ज्यादा वसूलने को सेवा दोष माना। मंच ने महावीर टायर्स और टायर निर्माता एमआरएफ कंपनी पर परिवाद खर्च सहित 6500 रुपए का हर्जाना लगाते हुए यह राशि एक माह में उपभोक्ता नवीन कुमार बैरवा को अदा करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही मंच ने अधिक वसूले गए पांच रुपए 18 जुलाई, 2012 से 12 फीसदी ब्याज सहित लौटाने को भी कहा है।

उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रकोष्ठ

जागो ग्राहक जागो

'कट्स' सेंटर फॉर कन्ज्यूमर एक्शन, रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग (कट्स कार्ट) द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण करने, शिकायतों से संबंधित सूचना एवं सलाह सेवाएं देने के लिए एक प्रकोष्ठ बनाया हुआ है। कोई भी उपभोक्ता अपनी शिकायत या समस्याओं के बारे में स्वयं व्यक्तिश कार्यालय समय में डी-218, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर स्थित कार्यालय में सम्पर्क कर सकता है अथवा नीचे लिखे फोन, फैक्स व ईमेल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रेषित कर सकता है।

CUTS International

फोन: 141-2282823, 2282482, 5133259, फैक्स: 141-4015395
ईमेल: cart@cuts.org, वेबसाइट: www.cuts-international.org/cart

कट्स कार्ट

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर